हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अंकेक्षण अवधि 4/99 से 3/2000.

भाग-एक.

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित निपटाए गए तथा लम्बित पड़े पैरों का विवरण निम्न दिया जाता है। अनिर्णीत पड़े पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(क) अवधि 4/84 से 3/85 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा	4(1)	अनिर्णीत

(ख) अवधि 4/86 से 3/87 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

1. पैरा	5(ई)	निर्णीत

(ग) अवधि 4/87 से 3/88 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

1. पैरा	5(ए)(1)	निर्णीत
2. पैरा	5(क्यू)	अनिर्णीत
3. पैरा	6(डी)	अनिर्णीत

(घ) अवधि 4/89 से 3/90 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा	4(सी)	अनिर्णीत
2. पैरा	7(ई)	निर्णीत
3. पैरा	5(1,2,5,7 व 8)	अनिर्णीत
4. पैरा	5(11, 12)	निर्णीत
5. पैरा	6(3)	निर्णीत
6. पैरा	7(2)(सी से एफ)	अनिर्णीत
7. पैरा	7(3)(ए)(2)	निर्णीत
8. पैरा	8(6 व 17)	निर्णीत

.....2....

-85-

अवधि 4/90 से 3/91 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

1. पैरा 4(10)(ग) निर्णीत
2. पैरा 4(12) अनिर्णीत
3. पैरा 6(5) अनिर्णीत
4. पैरा 9(6) अनिर्णीत
5. पैरा 9(8) निर्णीत

अवधि 4/91 से 3/92 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 5(घ) निर्णीत
2. पैरा 7(क) अनिर्णीत
3. पैरा 10(ग) निर्णीत
4. पैरा 11(घ) निर्णीत

अवधि 4/92 से 3/93 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

1. पैरा 4 अनिर्णीत
2. पैरा 6(ए) व (बी) अनिर्णीत

अवधि 4/93 से 3/94 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

1. पैरा 8 अनिर्णीत
2. पैरा 9 निर्णीत
3. पैरा 21 निर्णीत

अवधि 4/94 से 3/95 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

1. पैरा 5 अनिर्णीत
2. पैरा 6 अनिर्णीत
3. पैरा 7 अनिर्णीत
4. पैरा 9 निर्णीत
5. पैरा 10 निर्णीत
6. पैरा 11 अनिर्णीत

7. पेरा	12	अनिर्णीत
8. पेरा	13	निर्णीत
9. पेरा	16	निर्णीत
10. पेरा	24	अनिर्णीत
11. पेरा	26	अनिर्णीत
12. पेरा	31	अनिर्णीत
13. पेरा	32	निर्णीत
14. पेरा	33	अनिर्णीत
15. पेरा	34	निर्णीत
16. पेरा	35	निर्णीत
17. पेरा	41	निर्णीत
18. पेरा	42	निर्णीत
19. पेरा	44	अनिर्णीत
20. पेरा	46	निर्णीत

अवधि 4/95 से 3/96 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

1. पेरा	6	अनिर्णीत
2. पेरा	7	निर्णीत
3. पेरा	8(क)(1 से 4)	निर्णीत
4. पेरा	15	निर्णीत
5. पेरा	17	अनिर्णीत
6. पेरा	18	अनिर्णीत
7. पेरा	19(क)(ख)(ङ)	अनिर्णीत
8. पेरा	20(घ)	अनिर्णीत
9. पेरा	24	निर्णीत
10. पेरा	27	अनिर्णीत
11. पेरा	28(ग)	अनिर्णीत
12. पेरा	29(क)	अनिर्णीत
	29(ख)	निर्णीत
13. पेरा	30(क)	निर्णीत

14. पैरा	31	अनिर्णीत
15. पैरा	34	अनिर्णीत
16. पैरा	35	निर्णीत
17. पैरा	37	निर्णीत
18. पैरा	42	निर्णीत
19. पैरा	43	निर्णीत
20. पैरा	45	निर्णीत
21. पैरा	47	निर्णीत
22. पैरा	52	अनिर्णीत

अवधि 4/96 से 3/97 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

1. पैरा	6(क,ग,छ,ज,झ, ञ,ट,ठ,ड)	अनिर्णीत
2. पैरा	7(ङ)	निर्णीत
	7(च)	अनिर्णीत
3. पैरा	9	अनिर्णीत
4. पैरा	11	अनिर्णीत
5. पैरा	12(घ,च)	अनिर्णीत
6. पैरा	16	अनिर्णीत
7. पैरा	44	अनिर्णीत
8. पैरा	45	अनिर्णीत
9. पैरा	48(क)	निर्णीत
10. पैरा	54	निर्णीत
11. पैरा	56	निर्णीत
12. पैरा	57	अनिर्णीत
13. पैरा	58	निर्णीत
14. पैरा	59	अनिर्णीत

अवधि 4/97 से 3/98 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	पैरा	6	निर्णीत
2.	पैरा	8(क),(ङ.)	निर्णीत। रु0 14728 की वसूली की पुष्टि की गई।
3.	पैरा	12(ग)	अनिर्णीत
4.	पैरा	13	अनिर्णीत
5.	पैरा	14(ख,ग,घ)	अनिर्णीत
6.	पैरा	15	अनिर्णीत
7.	पैरा	17	अनिर्णीत
8.	पैरा	20	निर्णीत
9.	पैरा	21(क)	निर्णीत
10.	पैरा	22	अनिर्णीत
11.	पैरा	24	निर्णीत। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की पुष्टि की गई।
12.	पैरा	25	अनिर्णीत
13.	पैरा	29	अनिर्णीत
14.	पैरा	30(ङ),(च)(थ)	अनिर्णीत
15.	पैरा	31	अनिर्णीत
16.	पैरा	38	निर्णीत

अवधि 4/98 से 3/99 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन-

1.	पैरा	4	निर्णीत। इस प्रतिवेदन में अग्रिम की नवीनतम स्थिति दर्शाई गई है।
2.	पैरा	5	निर्णीत- यथोपरि-
3.	पैरा	6(क)(ख)	निर्णीत-यथोपरि-
4.	पैरा	7(क)	निर्णीत
5.	पैरा	7(ख)	निर्णीत

6. पैरा	7(ग)	निर्णीत
7. पैरा	7(घ)	अनिर्णीत
8. पैरा	8(क)	निर्णीत। नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण रिपोर्ट में प्रारूपित ।
9. पैरा	8(ख)	निर्णीत
10. पैरा	9(क)	निर्णीत
11. पैरा	9(ख)	निर्णीत
12. पैरा	10	अनिर्णीत
13. पैरा	11(क)	निर्णीत
14. पैरा	11(ख)	अनिर्णीत
15. पैरा	11(ग)	निर्णीत
16. पैरा	12(क)	अनिर्णीत
17. पैरा	12(ख)	निर्णीत
18. पैरा	12(ग)	निर्णीत
19. पैरा	12(घ)	निर्णीत
20. पैरा	13(क)	अनिर्णीत
21. पैरा	13(ख)	निर्णीत
22. पैरा	13(ग)	निर्णीत
23. पैरा	13(घ)	निर्णीत
24. पैरा	14	निर्णीत
25. पैरा	15	निर्णीत
26. पैरा	16	निर्णीत
27. पैरा	17(क)	निर्णीत
28 पैरा	17(ख)	निर्णीत
29. पैरा	18	निर्णीत
30 पैरा	19	अनिर्णीत
31. पैरा	20	निर्णीत

32. पैरा	21{क}	निर्णीत
33. पैरा	21{ख}	निर्णीत
34. पैरा	22	अनिर्णीत
35. पैरा	23	अनिर्णीत
36 पैरा	24	निर्णीत
37. पैरा	25	निर्णीत
38. पैरा	26	निर्णीत
39. पैरा	27	अनिर्णीत।
40. पैरा	28{क}	अनिर्णीत
41. पैरा	29{ख}	निर्णीत
42. पैरा	29	निर्णीत
43. पैरा	30	निर्णीत
44. पैरा	31	निर्णीत.
45. पैरा	32{क}	निर्णीत
46. पैरा	32{ख}	निर्णीत
47. पैरा	33	अनिर्णीत
48. पैरा	34	निर्णीत
49. पैरा	35{क}	निर्णीत। अधिक भुगतान की राशि अवधि 2/2000 तक रु0 3112/ रु0 की वसूली की पुष्टि की गई।
50. पैरा	35{ख}	निर्णीत
51. पैरा	35{ग}	निर्णीत
52. पैरा	36	निर्णीत
53. पैरा	37	निर्णीत
54. पैरा	38	निर्णीत
55. पैरा	39	निर्णीत।

-95

भाग-दो.

2. **वर्तमान अंकेक्षण :-**

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल, धर्मशाला जिला कांगड़ा के अवधि 4/99 से 3/2000 तक के लेखाओं का वर्तमान लेखा परीक्षण श्री रणबीर कुमार (अनुभाग अधिकारी) व श्री विरेन्द्र कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा श्री अनिल शर्मा (सहायक निदेशक) के पर्यवेक्षण में दिनांक 17.7.2000 से 24.9.2000 तक धर्मशाला में किया गया। मास 9/99 व 3/2000 के लेखाओं का चयन विस्तृत जांच हेतु किया गया। अंकेक्षण के परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट किया जाता है ।

3. **अंकेक्षण शुल्क :-**

वर्ष 1999-2000 के लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क के सम्बन्ध में आवास बोर्ड मुख्यालय से पृथक से अनुरोध किया जाएगा ।

4. **कर्मचारी वर्ग को अग्रिम :-**

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अधीन कार्यरत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम रु0 17674/-रु0 अग्रिमों की राशियां 31.3.2000 को समायोजन हेतु बकाया पड़ी थी, जिनका पूर्ण विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखाओं में वर्णित है। अग्रिम राशियों को समय पर वसूल न करने की स्थिति को बोर्ड के उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

क्रम सं0	अग्रिम का विवरण	अग्रिम की राशि
1.	स्थानान्तरण यात्रा अग्रिम	490.00
2.	यात्रा अग्रिम	3150.00
3.	वेतन अग्रिम	4672.00
4.	स्टाफ अग्रिम	9362.00
	कुल	17674.00

-93-

5. **विविध अग्रिम :-**

मु0 18,15,165.58 रु0 की धन राशि दिनांक 31.3.00 को विविध अग्रिम के रूप में विभिन्न विभागों, फर्मों, संस्थाओं तथा कर्मचारियों के विरुद्ध समायोजन के लिए बकाया पड़ी थी। जिसका विवरण हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के वार्षिक लेखाओं में दिया गया है। उपरोक्त अग्रिमों की समय पर वसूली न करने की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है क्योंकि शेष अग्रिम राशियों से अपने पास बिना किसी प्रयोजन से रखने का कोई भी औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इन राशियों की समय रहते साथ-2 वसूली की जानी अपेक्षित थी परन्तु लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इन राशियों की वसूली हेतु कोई भी ठोस पग तथ्य अधिकारियों द्वारा नहीं उठाए जा रहे हैं। अतः इन राशियों की वसूली बारे ठोस पग शीघ्र उठाए जाएं तथा अनुपालना की जाँच आगामी निरीक्षण के दौरान करवाई जाए।

6. **आवास बोर्ड बस्ती पालमपुर तथा कांगड़ा के मकान/प्लाट मालिकों से मार्च,2000 तक मु0 10,41,332.00 रु0 की बस्तियों के रख-रखाव प्रभार के रूप में वसूली न करना :-**

आवास बोर्ड की पालमपुर तथा कांगड़ा की बस्तियों के मालिकों से प्राप्त होने वाले रख रखाव प्रभार की मु0 10,41,332.00 रु0 की राशि वसूली हेतु अपेक्षित है जिसकी वसूली हेतु मण्डल स्तर पर प्रयास किए जाने आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित उप मण्डलों को इन प्रभारों की वसूली बारे दिशा निर्देश दिए जाएं। मण्डल कार्यालय में किसी वित्तीय वर्ष में कितनी वसूलियाँ की गई व कितनी वसूलियाँ शेष है, का पूर्ण अभिलेख खातों में दर्ज करना भी अपेक्षित है तथा यह सूचना वार्षिक लेखाओं में दर्ज करना भी अनिवार्य है क्योंकि सम्पूर्ण "लेनदारों" व देनदारों की वास्तविक स्थिति तभी परिलक्षित हो सकती है।

उप मण्डल पालमपुर तथा धर्मशाला द्वारा रखे गए रख रखाव प्रभार खातों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि

दिनांक 31.3.2000 तक पालमपुर एवं कांगड़ा की बस्तियों के मकान/प्लाट मालिकों से इस प्रभार को लागू करने की तिथि से अंतिम अवधि तक किसी भी प्रकार की राशि की वसूली नहीं की गई थी। अभिलेख की छानबीन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी बड़ी राशियों को वसूल करने के लिए विभागीय स्तर पर कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अतः शेष प्रभार की राशियों की वसूली हेतु उचित कार्यवाही शीघ्र की जाए।

दिनांक 31.3.2000 तक पालमपुर तथा कांगड़ा की बस्तियों के रख रखाव प्रभार राशि की शेष वसूलियों का विवरण निम्न प्रकार था :-

(क) आवास बस्ती कांगड़ा :-

क्रसं0	आबंटी का नाम	प्लाट/मकान सं0	बकाया/शेष राशि रु0.
1.	श्री मधु सुदन भारद्वाज	एच.आई.जी.-2	1561.00
2.	अधिशासी अभियन्ता (पी एवं आर) एच.पी पी. डब्लू. डी मण्डल कांगड़ा।	एच.आई.जी. 3,7, 8,9,10,11,12,13	48232.00
3.	श्रीमति रेणु रानी खुराना।	--यथोपरि-- 14	2958.00
4.	श्री विश्वामित्र शर्मा	-"- 15	797.000
5.	श्री एस.पी.शर्मा	-"- 16	797.00
6.	श्री राजेश महाजन	-"- 18	4593.00
7.	श्री एन.एल.शर्मा	एच.आई.जी-i-21	122.00
8.	श्री सतीश कुमार	-"- 23	919.00
9.	श्री एम.एल.शर्मा	-"- 26	156.00
10.	श्री एस.के.चौधरी	-"- 28	5865.00
11.	श्रीमति रेखा कुमारी	-"- 29	913.00

12.	श्री एस.सी. गुप्ता	एच.आई.जी.-1-30	1737.00
13.	श्री गोपाल कृष्ण	-यथोपरि- 33	1233.00
14.	श्री वी.एम. भार्गव	-"- 35	1138.00
15.	श्री ए.एस. माथुर	-"- 37	3420.00
16.	श्री ज्ञान सिंह	-"- 38	797.00
17.	श्री आर.के.सूद	-"- 40	940.00
18.	श्री केसी. भारद्वाज	-"- 42	919.00
19.	श्री सुरेन्द्र कुमार	-"- 43	1737.00
20.	श्री रामानन्द शर्मा	-"- 45	4593.00
21.	श्री संजीव कुमार	-"- 46	1148.00
22.	ले0 कर्नल के.के. दुग्गल	-"- 47	3512.00
23.	श्री ललित खन्ना	-"- 48	1737.00
24.	श्री मति वीर प्यारी शर्मा.	-"- 49	4593.00
25.	श्री एस.आर. शर्मा	-"- 51	797.00
26.	श्री संजीव हाण्डा	-"- 54	6267.00
27.	श्री मोहन लाल	एच.आई.जी.-2-58 (एल.आई.जी.)	1170.00
28.	ले0कर्नल ए.एल. अरोड़ा	-"- 59	572.00
29.	श्री नरेन्द्र कुमार	-"- 63	2808.00
30.	श्रीमति कन्चन शर्मा	-"- 64	76.00
31.	श्रीमति सरिता थापर	-"- 65	2808.00
32.	श्रीमति विजय लक्ष्मी	-"- 66	2123.00
33.	श्री मोहिन्द्र सिंह	-"- 71	2808.00
34.	श्री विनोद कुमार	-"- 72	2808.00
35.	श्रीमति ऊषा आहूजा	-"- 74	2808.00
36.	श्रीमति विमला देवी	-"- 83	2279.00
37.	श्री विनय प्रकाश	-"- 84	572.00
38.	श्री अविनाश कुमार	-"- 86	2808.00

...12..

-95-

39. श्री विनोद कुमार	एच. आई. जी. फ्लैट नं. -1.		2490.00
40. श्री कन्हैया लाल	-यथोपरि-	4	959.00
41. श्री वेद प्रकाश चौधरी	-"-	5	440.00
42. श्री राजेन्द्र कुमार	-"-	7	959.00
43. श्री प्रदीप राज	-"-	8	2490.00
44. श्री मोहन लाल	-"-	9	2490.00
45. श्री दलीप कुमार	-"-	10	959.00
46. श्रीमति जनक चावला	-"-	11	134.00
47. श्री सुनील वासुदेवा	-"-	12	440.00
48. श्री विजय कुमार	-"-	12-ए	959.00
49. श्रीमति सुदर्शन रानी	-"-	40	440.00
50 श्री कंवल मोगरा	-"-	41	959.00
51. श्रीमति मन्जु ग्रोवर	-"-	43	2490.00
52. श्री रणजीत शर्मा	-"-	44	514.00
53. ई. ई. (एच. पी. पी. डब्ल्यू. डी) (बी एण्ड आर) मण्डल कांगड़ा ।	फ्लैट नं0 6, 14 से 37, 39, 42, 45से 48.		60654.00
54. श्रीमति चन्द्र कान्ता	एल. आई. जी. मकान नं0 23.		524.00
55. श्री एम. पी. एस नय्यर	एच. आई. जी-I एम. आई. जी-34.		122.00
56. श्रीमति रत्ना कसी	एच. आई. जी. -II एल. आई. जी. -55		76.00
57. श्री अमर नाथ शर्मा	-यथोपरि-	57	76.00
58. श्री प्रबोध भाटिया	-"-	76	76.00
59. श्री विक्रम कुमार	एच. आई. जी. फ्लैट नं0 81.		68.00

{ख} आवास बस्ती, पालमपुर {बिन्द्रावन}

क्रम सं0	आबंटी का नाम	प्लाट/मकान सं0		बकाया राशि,रु0
1.	श्री वीरेश रिहाजा	कैट-I मकान नं-1		1531.00
2.	श्री प्रकाश महाजन	-यथोपरि-	2	696.00
3.	श्रीमति कुसुम शर्मा	-"-	6	3532.00
4.	श्री जयवीर खोसला	-"-	7	2532.00
5.	कु0 पवना कौशल	-"-	8	696.00
6.	डा0 ए.के. सूद	-"-	9	696.00
7.	श्री के.एस. जसवाल	-"-	11	6741.00
8.	श्री प्रीतम चन्द	-"-	12	696.00
9.	श्री यू.एन.शर्मा	-"-	13	3532.00
10.	श्री रन्जीत कुमार सेरी	-"-	14	1531.00
11.	श्री धनेश कोहली	-"-	15	696.00
12.	श्रीमति नीरजा प्रकाश	-"-	17	3532.00
13.	श्री विनय मितर महाजन	-"-	18	7223.00
14.	डा0 एम.एल. करवाल	कैट-II मकानसं	19	2333.00
15.	श्रीमति जैनेश ककारिया	यथोपरि-	20	2009.00
16.	श्री एस.के.सरोच	-"-	25	871.00
17.	श्री पी.एस. राना	-"-	26	968.00
18.	श्रीमति मनोरमा गण्डोत्रा	-"-	27	546.00
19.	श्री एम.डी. चौधरी	-"-	28	395.00
20.	श्री प्रीतम सिंह आनन्द	-"-	31	440.00
21.	कु0 रेणु व श्री राकेश आहुजा,	कैट-II मकान संख्या-34		440.00
22.	श्री आर.एस. ठाकुर	-यथोपरि-	35	484.00
23.	जनरल मैनेजर {एच.आर.टी.सी.}	-"-	36	396.00

-990-

24.	श्रीमति हर्ष कक्कड़	कैट-II मकान नं-38		396.00
25.	श्री डा० अजय सूद	-"-	40	528.00
26.	श्री आर.के.सूद	-"-	41.	396.00
27.	श्री वी.के.तारी	-"-	43	1319.00
28.	श्री वी.के.भाटिया	-"-	44	613.00
29.	श्री धरमपाल पठानिया	-"-	47	893.00
30.	श्रीमति शोभा देवी	-"-	48	406.00
31.	श्री दीपक प्रकाश	-"-	49	2288.00
32.	डा० एस.एस जोहल	-"-	56	396.00
33.	श्रीमति शशि गुप्ता	-"-	60	992.00
34.	श्री डी.डी. नागपाल	-"-	62	406.00
35.	श्री डी.एल. चोपड़ा	-"-	63	812.00
36.	श्री हरदयाल शर्मा	कैट-III मकानरी	66	968.00
37.	श्री रमेश चन्द शर्मा	-यथोपरि-	70	396.00
38.	श्री टहल सिंह दयोल	-"-	71	440.00
39.	श्री सिकन्दर चड्ढा	-"-	73	396.00
40.	श्री आर.एन.सेठ	-"-	77	488.00
41.	श्रीमति बीना रानी	-"-	78	395.00
42.	श्रीमति कोयपाल चड्ढा	-"-	79	440.00
43.	श्री विमल किशोर	-"-	81	396.00
44.	श्री हर्ष चन्द्र सिंह	-"-	82	1441.00
45.	श्रीमति राजेश्वरी मट्टू	-"-	83	395.00
46.	श्री अशोक नय्यर	-"-	84	871.00
47.	श्री एल.आर.भार्गव	-"-	85	396.00
48.	श्री ओ.पी. शर्मा	-"-	87	3961.00
49.	श्रीमति पूनम चौधरी	-"-	88	3992.00
50	श्री आर.के गुप्ता	-"-	89	404.00
51.	श्री ओ.पी. सिंह	-"-	90	2009.00
52.	श्रीमति मन्जीत रियालय	-"-	91	519.00
53	श्री ओ.पी.खुराना	-"-	92	396.00
54.	श्री एस.के.हरीश	कैट-II मकान नं०	39	528.00

आवास बस्ती, पालमपुर, (होल्टा)

क्रम संख्या	अलाट आवंटी का नाम	प्लाट / मकान संख्या	बकाया राशि (रुपये)
1.	श्री देविन्द्र सूद	एच. आई जी, फ्लैट नं० - 4	3,502-00
2.	श्री एस. सी. व्यास	— यथोपरि — 6	11,954-00
3.	श्री गेंडा लाल बंसल	एम. आई.जी. फ्लैट नं० - 8	3864-00
4.	श्री मति आशा बंसल	एच. आई.जी फ्लैट नं० - 9	3,219-00
5.	श्री राजेन्द्र सिंह	एम०. आई०. जी० . फ्लैट - 12	3,219-00
6.	श्री चरन्जी लाल शर्मा	— यथोपरि — 12-ए	953-00
7.	श्री नवीन कुमार वालेचा	— ,, — 16	2,323-00
8.	श्री दीपक सूद	— ,, — 17	953-00
9.	श्रीमति प्रोमिला कंवर	— ,, — 19	1,915-00
10.	श्री मति आदर्श	— ,, — 20	10,661-00
	श्री मति जगदम्बा देवी	— ,, — 38	1,430-00
	डा० के०. के० परमार	— ,, — 52	19,763-00
	श्री मति प्रोमिला सूद	एच०. जी०. पी०. - 53	297-00
	श्री रामप्रकाश नागपाल	— यथोपरि — 55	1,722-00
	श्री आर०. सी० गुप्ता	— ,, — 56.	14,341-00
	श्रीमति जय देवी	एल०. आई०. जी०. पी० - 57	1,080-00
	श्री मति विमला कटोच	— यथोपरि — 59	2,206-00
	ओ०डी०पी०टिंग डाइरेक्टर (एस आई आर) पालमपुर	एम आई जी. एच 21 से 31	2,19,030-00
	अग्निफल्ला (जी एन आर) (जागपी पी डब्ल ड़ी)	— ,, — 39, 40 व 42	94,631-00

...ी का नाम	प्लाट / मकान संख्या	बकाया राशि (रुपये)
...पी. सी. कटोच	एम. आई. जी. एच — 43.	650-00
...डीनियां डाईरैक्टर ...आई. आर्स पालमपुर	— पपीपारी — 44.	32,770-00
...र. पी. एस बाटवाल	— ,, — 46	31,417-00
...र (सी० एस० आई० आर०) (जे० एस के०)	— ,, — 47 व 48	60,316-00
... शिमला / सूद	— ,, — 32	1,576-00
... चन्द्रकान्ता	— ,, — 35	20,885-00
...अभियन्ता (बी व आर) ...च पी पी डब्लु डी)	एच. जी. एच 65 से 68.	54,582-00
...र सिंह	— पपीपारी — 81	4,555-00
...आर०. के० सूद	— ,, — 84	653-00
...र (सी एस आई आर) ...जे०. एस. के.)	— ,, — 87, 88, 90 से 93	85,900-00
...अभियन्ता (बी एवं आर) ...एच पी पी डब्लु डी)	एच. आई. जी. एच 2 व 3	73,532-00
... मीरा बरमानी	एच० आई० जी० कोटला — 73	2,958-00
...र चन्द सूद	— पपीपारी — 75	260-00

सुमेल (i) आवास बस्ती कांगड़ा — 2,03,110-00

(ii) आवास बस्ती पालमपुर (विन्ध्याचल + हैलान) — 8,33,892-00

कुल योग — 10,11,33[illegible]-00

7. स्टाफ अग्रिम की अत्यधिक हस्तगत राशी का रखा जाना :-

स्टाफ अग्रिम रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि निम्न लिखित अधिकारीयों / कर्मचारीयों द्वारा प्रत्येक मास के अन्त में भारी मात्रा में स्टाफ अग्रिम की राशीयाँ अपने पास शेष रखी गई थी। इसके अतिरिक्त इन अधिकारीयों को स्टाफ अग्रिम के रूप में और राशीयाँ स्वीकृत की जाती रही, जो कि एक गम्भीर अनियमितता तथा लापरवाही का मामला है। इस अनियमितता के फलस्वरूप प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी के पास निम्न विवरणानुसार भारी मात्रा में राशीयाँ शेष पड़ी रही। यह गम्भीर अनियमितता उच्च अधिकारीयों के ध्यानार्थ शीघ्र उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है।

(1.) सहायक अभियन्ता धर्मशाला,

मास	डेबिट	क्रेडिट	मास के अन्त में हस्तगत शेष राशि
4/99	77,173-00	45,154-00	32,019-00
5/99	31,433-00	57,915-00	5,537-00
6/99	70,000-00	68,855-00	6,682-00
7/99	70,000-00	70,187-00	6,195-00
8/99	60,415-00	66,202-00	438-00
9/99	73,217-00	67,905-00	5,750-00

1/2000	2,721-00	1,13,110-00	26,754-00
2/2000	1,09,689-00	1,04,884-00	31,559-00

(3) <u>सहायक अभियन्ता, चम्बा</u>

मास	डेबिट	क्रेडिट	माह के अन्त में हस्तशेष राशि
4/99	54,000-00	38,710-00	15,290-00
5/99	45,000-00	34,471-00	25,819-00
6/99	50,000-00	68,738-00	7,081-00
7/99	50,000-00	55,172-00	1,909-00
8/99	57,000-00	58,094-00	815-00
9/99	60,000-00	59,849-00	966-00
10/99	76,000-00	76,153-00	813-00
11/99	68,000-00	63,207-00	5,606-00
12/99	64,000-00	56,547-00	13,059-00
1/2000	77,500-00	68,304-00	22,255-00
2/2000	75,000-00	82,850-00	14,405-00

10/99	71,802-00	56,052-00	21,500-00
11/99	80,000-00	70,728-00	30,772-00
12/99	27,340-00	56,080-00	2,032-00
1/2000	75,840-00	68,757-00	9,115-00
2/2000	68,615-00	77,520-00.	210-00

(3.) <u>सहायक अभियन्ता, पालमपुर</u>

मास	डेबिट	क्रेडिट	माह के अन्त में हस्त शेष राशि
4/99	1,01,044-00	71,629-00	29,415-00
5/99	97,069-00	88,283-00	38,201-00
6/99	1,00,986-00	1,01,422-00	37,765-00
7/99	94,685-00	98,597-00	33,853-00
8/99	91,177-00	1,07,806-00	17,224-00
9/99	1,38,091-00	1,10,014-00	45,301-00
10/99	1,07,870-00	1,00,693-00	52,478-00
11/99	1,27,001-00	1,22,431-00	57,048-00
12/99	1,72,772-00	92,347-00	1,37,473-00

(4) श्री वी० के० नारायण, कं० अभियन्ता :-

मास	डेबिट	क्रेडिट	माह के अन्त में हस्तशेष राशि
			40,055-00
4/99	15,000-00	—	55,055-00
5/99	17,000-00	—	72,055-00
6/99	14,000-00	—	86,055-00
7/99	14,000-00	—	1,00,055-00
8/99	17,000-00	68,399-00	48,656-00
9/99	17,000-00	—	65,656-00
10/99	17,000-00	—	82,656-00
11/99	10,000-00	36,820-00	55,836-00
12/99	20,000-00	41,152-00	34,684-00
1/2000	30,000-00	—	64,684-00
2/2000	20,000-00	—	84,684-00
3/2000	10,000-00	85,382-00	9,302-00

(5) श्री वी.के. अवस्थी द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में अत्यधिक मात्रा में स्टाफ अग्रिम की राशि अपने पास रखने के बावजूद स्टाफ अग्रिम के रूप में और राशियाँ स्वीकृत की जाती रही। नियमानुसार अगले स्टाफ अग्रिम की राशि तभी स्वीकृत की जा सकती है जब तक पहले स्वीकृत स्टाफ अग्रिम की राशि का समायोजन न कर लिया जाए। इस प्रकार से माह 7/99 तक कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कुल 100055.00 रु० की स्टाफ अग्रिम की राशि को अनावश्यक रूप से रखा गया। जबकि निम्न विवरणानुसार वर्ष के आरम्भ में उक्त अधिकारी/कर्मचारी के पास कुल 40055.00 रु० की राशि हस्तगत शेष थी। माह 4/99 से 7/99 तक कर्मचारी को अनावश्यक रूप में क्रमशः 15,000.00, 17,000.00, 14,000.00 व 14000.00 रु० स्वीकृत किए गए। इस प्रकार से इस सम्पूर्ण राशि का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है। तथा उक्त कर्मचारी द्वारा अग्रिम सम्बन्धी नियमों की अवहेलना की गई। अतः इस अनियमितता को भविष्य में रोकने हेतु उचित कार्यवाही की जाए।

माह	माह के आरम्भ में स्वीकृत की गई राशि।	माह के दौरान समायोजित राशि।	माह के अन्त में हस्त शेष
3/99	------	-------	40,055.00
4/99	15,000,00	-----	55,055.00
5/99	17,000.00	-----	72,055.00
6/99	14,000.00	-----	86,055.00
7/99	14,000.00	-----	1,00,055.00
कुल	60,000.00	-----	1,00,055.00

8. भण्डार एवं स्टाक लेखे सम्बन्धी :-

पुलिस हाउसिंग स्कीम के 36 अदद मकान कार्य हेतु श्री अशोक ठाकुर ठेकेदार को इन्डेन्ट संख्या 464 माह 4/99

में 20 मिलीमीटर ए एम.एम. टोर स्टील जारी करने की प्रविष्टि संविदाकार खाते में दर्ज नहीं की गई थी परन्तु अंकेक्षण में न तो उक्त इन्डेंट ही उपलब्ध करवाया गया तथा न ही बिन कार्ड जारी मात्रा की पुष्टि में उपलब्ध करवाया गया जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

9: बिन बिन कार्डों में गलत गणना के फलस्वरूप एक एम.टी. टोर स्टील का दर्शाना :-

---

(1) उपमण्डल पालमपुर के बिन कार्ड संख्या 219 के अनुसार दिनांक 21.01.2000 को 1000 एम.टी. टोर स्टील जारी किया गया। इस प्रकार इस बिन कार्ड में 19.83 एम.टी. शेष मात्रा दर्शायी जानी अपेक्षित थी परन्तु लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि बिन कार्ड में केवल 18.83 एम.टी. टोर स्टील शेष दिखाई गई। इस प्रकार से एक मीट्रिक टन टोर स्टील गणना में कम दर्शाई गई प्रतीत होता है । इस सम्पूर्ण प्रकरण की यह जाँच की जाए कि क्या उक्त स्टील की एक मीट्रिक टन की मात्रा कहीं अन्य निर्माण कार्य को जारी तो नहीं की गई है अन्यथा उक्त एक एम.टी. टोर स्टील की 17,441.00 (सतरह हजार चार सौ इकतालीस) रु0 प्रति एम.टी. की दर से कुल 17441.00 रु0 की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

(2) जी.आर. संख्या 2169 दिनांक 15.8.99 तथा 2170 दिनांक 15.8.99 द्वारा क्रमशः 0.050 एम.टी. तथा 0.322 एम.टी. टोर स्टील 8 एम.एम. प्राप्त किया गया दर्शाया गया है। जिसकी कुल कीमत 17,807 रु0 की दर से कुल 6624.20 रु0 बनती है। उक्त जी.आर. द्वारा प्राप्त स्टील को बिन कार्ड के प्राप्ति में दर्शाया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित बिन कार्ड पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाए कि उक्त जी.आर. से प्राप्त स्टील को मण्डलीय खातों में किस प्रकार समायोजित किया गया है ।

-107-

§3§ बिन कार्ड में गलत गणना के परिणाम स्वरूप 20 रनिंग मी. पाईप का कम दर्शाया जाना :5

उपमण्डल पालमपुर के स्टाक रजिस्टर वर्ष 1999-2000 से सम्बन्धित बिन कार्ड संख्या 222 के अवलोकन पर पाया गया कि इन्डैन्ट संख्या 195 दिनांक 18.9.99 द्वारा 30 रनिंग मी. पाईप साईज 150 एम.एम. निर्माण कार्य हेतु जारी की गई।

उपरोक्त पाइप को जारी करने से पहले बिन कार्ड में इसकी शेष मात्रा 50 रनिंग मी. थी तथा इसमें से 30 रनिंग मी. जारी करने के पश्चात इसकी शेष मात्रा 20 रनिंग मी. बिन कार्ड में शेष दर्शाई जानी थी परन्तु इसकी शेष मात्रा को शुन्य दर्शाने से 20 रनिंग मी. पाईप का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है । जिसकी 94.00 रु0 प्रति रनिंग मी. की दर से 1880.00 रु0 की वसूली दोषी कर्मचारी से करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से विभाग को अवगत किया जाए ।

§4§ आवास बोर्ड मण्डल के अधीनस्थ उप मण्डल पपरोला पालमपुर के इण्डेंट/ मांग पत्रों के द्वारा निम्न कार्यों को जारी की गई सामग्री को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अपने एम.ए.एस. रजिस्टरों में दर्ज किया दर्शाया गया परन्तु अंकेक्षण को इन एम.ए.एस. रजिस्टरों को उपलब्ध न करवाने के कारण इन अभिलेखों की शेष मात्रा की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाए।

इन्डैन्ट सं0	दिनांक	कार्य का नाम	जारी की गई सामग्री का नाम.	एम.ए.एस.पृष्ठ संख्या
ए.यू/1001-के	6.3.2000	एस.एफ.एस.- विज्ञापन फेज-2.	400 बोरी सीमेन्ट	2.
ऐयू/1004	23.3.2000	यथोपरि	2.00मी.टन स्टील 1.940 मी.ट.	2

-108-

185	15.7.1999	जे.एन.वी. पपरोला डिवेलपमेन्ट आफ साईट.	20 रैनिंग मी. पाईप 150 एम.एम.	6

{5} भण्डार एवं स्टाक लेखे चम्बा :-

आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के उप मण्डल चम्बा में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों पर संविदाकारों को भण्डारण से सामग्री जारी की गई थी। स्टाक लेखों की पड़ताल पर पाया गया कि इन्डेन्ट/मांग पत्र संख्या 309 दिनांक 7.4.99 के द्वारा पुलिस क्वार्टर सलोणी के निर्माण कार्य हेतु 10 एम.एम. व 16 एमएम. टोर स्टील की कुल मात्रा 275 मी.ट. व 430 मी.ट. जारी की गई परन्तु बिन कार्ड सं0 144 एवं 145 की जांच पर पाया गया कि उक्त दर्शाई गई मात्रा को दो बार घटा कर शेष मात्रा दर्शाई गई है। उक्त स्टील यदि कहीं अन्यथा जारी की गई है तो सम्बन्धित अभिलेख आगामी निरीक्षण में प्रस्तुत किया जाए। अन्यथा दोहरी मात्रा में निकाली गई सा सामग्री का भण्डारण लेखे में अन्त शेष का सही अवलोकन न करने के कारण अभिलेखों की स्थिति स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करती । दोहरी मात्रा में सामग्री के निकाले जाने का विवरण निम्न प्रकार से है :-

बिन कार्ड नं0	सामग्री का नाम	मात्रा	क्रय दर	राशि
144	10 एमएम. टोर स्टील	0.275 मी.टन	16817.00 मी.टन	4624.67
145	16 एमएम. टोर स्टील	0.430 मी.टन	16225.00	6976.75
			योग	11601.42

{6} पी. एस.एफ,एस, विन्द्रावन फेज-II निर्माण कार्य 17 अदद कैटागरी-II तथा 19 अदद कैटागरी-III मकानों का निर्माण।

उपरोक्त निर्माण कार्य के एम.ए.एस. सं0 55 की जाँच के दौरान पाया गया कि माह 3/2000 के दौरान

12 एम.एम. सरिया का केवल 2.167 एम.टी. सरिया ही स्टाक में शेष था। माह 3/2000 के दौरान माप पुस्तिका संख्या 1040/99 पृष्ठ संख्या 27 के अनुसार 2.405 एम.टी., 12 एमएम सरिया का सरिया निर्माण कार्य पर इस्तेमाल किया गया दर्शाया गया।

उपरोक्त विवरण से विदित होता है कि जब स्टाक में केवल 2.167 एम.टी. सरिया ही शेष था तो निर्माण कार्य पर स्टाक में शेष सरिये से अधिक अर्थात 2.405 एम.टी. सरिये का दर्शाया गया उपयोग/खपत संदिग्ध प्रतीत होती है। अतः अनिय-मित रूप से दर्शाए गए सरिये की खपत की विभागीय तौर पर छान बीन करके अधिक भुगतान की गई राशि की सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता से शीघ्र वसूली की जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाए।

10. सरकार द्वारा स्वीकृत दर संविदा की अवहेलना करके सीमेन्ट की खरीद हि0प्र0 सिविल सप्लाई निगम शिमला के माध्यम से सीधे सीमेन्ट फैक्टरी, बरमाणा से करने के बजाए सिविल सप्लाई कारपोरेशन के स्थानीय डिपुओं से करने के कारण आवास बोर्ड को वर्ष 1999-2000 के दौरान कुल 13,090/-रु0 की हानि :-

वर्ष 1999-2000 के लेखाओं की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला द्वारा सीमेन्ट की खरीद हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कारपोरेशन शिमला के माध्यम से सीधे सीमेन्ट फैक्टरी बरमाणा से करने के बजाए कुछ मामलों में निम्न विवरणानुसार सिविल सप्लाई कारपोरेशन के स्थानीय डिपुओं से भी की जाती रही है। अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि सिविल सप्लाई निगम के स्थानीय डिपुओं से क्रय किए गए सीमेन्ट में से कुल 13,090/-रु0 की अदायगी निम्न विवरणानुसार अधिक करनी पड़ी। क्योंकि नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से सीधे सीमेन्ट फैक्टरी बरमाणा से सीमेन्ट की आपूर्ति अपेक्षाकृत सस्ती है। अतः सीमेन्ट की खरीद फैक्टरी बरमाणा से करने

के बजाए सिविल सप्लाई कारपोरेशन के स्थानीय डिपुओं से करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इस गलत क्रय नीति से न केवल आवास बोर्ड को हानि हो रही है अपितु निर्माणाधीन भवनों की लागत में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

उप मण्डल पालमपुर

क्रम सं0	जी.आर.सं0	दिनांक	खरीदे गए सीमेन्ट की मात्रा।	दर प्रति बोरी रु0.	सीधे क्रय किए गए सीमेन्ट की दर प्रति बोरी.	कुल अधिक भुगतान
1.	2179	29.10.99	200बोरी	146.00	139.95	1230.00
2.	2180	2.11.99	200 बोरी	150.95	139.95	2200.00
3.	2192	7.2.2000	200 बोरी	147.30	139.95	1470.00
4.	2188	20.1.2000	200बोरी	147.30	139.95	1470.00
5.	2186	20.12.99	200बोरी	147.25	139.95	1460.00
6.	2185	14.12.99	200 बोरी	153.10	139.95	2630.00
7.	2184	6.12.99	200 बोरी	153.10	139.95	2630.00
						13,090.00

11. वा0सं0 1122113 दिनांक 18.2.2000

अनुबन्ध संख्या: 23 वर्ष 1998-99.

निर्माण कार्य का नाम:- 6 नं0 टाईप-I क्वाटर पालमपुर,
6 नं टाईप-I क्वाटर बैजनाथ

संविदाकार का नाम:- भरत कपूर

बिल संख्या:- तीसरा चलित बिल।

रु0 15,090/-रु0 का दो बार माप डालकर अधिक भुगतान :-

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1998-99 के पैरा-8 के निपटारे से सम्बन्धित की गई अनुपालना का अवलोकन करते समय यह पाया गया कि संविदाकार से राशि 59980.00 रु0 की वसूली द्वितीय चलित बिल से कर ली गई थी। परन्तु इसी निर्माण कार्य के

.....27...

तीसरे चलित बिल की माप पुस्तिका सं0 975/98 पृष्ठ 99 के अवलोकन पर पाया गया कि 20.12 वर्ग मीटर मात्रा "फिक्स्ड स्टील विन्डो" की पैमाइश को पालमपुर एवं बैजनाथ के उक्त निर्माणाधीन कार्य की पहले निम्न प्रकार से दोनों स्थानों की मात्रा सम्मिलित करके तथा तत्पश्चात बैजनाथ की अलग मात्रा दर्शाकर गलत माप प्रविष्टि करने के कारण कुल 20.12 वर्ग मीटर मात्रा दर 750.00 रु0 के अनुसार कुल 15090.00 रु0 का अधिक भुगतान कर दिया गया ।

माप पुस्तिका पर की गई रिकार्ड प्रविष्टि का विवरण निम्न था :-

(ए) पालमपुर एवं बैजनाथ
डब्ल्यू 12×0.82×1.11= 10.92
डब्ल्यू1 12×0.38×1.11= 5.06
डब्ल्यू2 12×0.38×0.91= 4.14
कुल 20.12 वर्ग मी.

(बी) बैजनाथ
डब्ल्यू 12×0.82×1.11= 10.92
डब्ल्यू1 12×0.38×1.11= 5.06
डब्ल्यू2 12×0.38×0.91= 4.14
कुल 20.12 वर्ग मी.

ए+बी=कुल योग=40.24 वर्ग मी. जब कि यह रिकार्ड प्रविष्टियां निम्न प्रकार से की जानी अपेक्षित थी :-

बैजनाथ
डब्ल्यू 6×0.82×1.11= 5.46
डब्ल्यू1 6×0.38×1.11= 2.53
डब्ल्यू2 6×0.38×0.91= 2.07
10.06 वर्ग मी.

पालमपुर
डब्ल्यू 6×0.82×1.11= 5.46
डब्ल्यू1 6×0.38×1.11=2.53
डब्ल्यू2 6×0.38×0.91=2.07
10.06 वर्ग मी.

योग:- 10.06+10.06=20.12 वर्ग मी .

उपरोक्त तथ्यों से विदित होता है कि अधिक

द्वारा अधिक भुगतान की गई राशि को प्रथम बिल के अनुसार निर्दिष्ट करने पर द्वितीय चलित बिल में अधिक भुगतान की गई राशि की कटोती तो कर ली गई परन्तु तीसरे चलित बिल में इस अनियमितता की अन्य मदों में पुनरावृति करके दोबारा अधिक भुगतान कर दिया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि एक बार तो आडिट द्वारा निर्दिष्ट अधिक भुगतान की राशि की कटोती तो कर ली गई वहीं दूसरी ओर अगले चलित बिल में पुनः गलत माप लगाकर अधिक भुगतान का प्रयास किया जाता है जो कि इस मामले में गम्भीर अनियमितता है। अतः बोर्ड के उच्चाधिकारियों के ध्यान में तुरन्त आगामी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। ताकि इस प्रकार के दोहरे भुगतान की पुनरावृति न हो सके।

12. वा०सं०-49-50 दिनांक 21.9.99 राशि 128218.60 रु०

अनुबन्ध संख्या:- 22 वर्ष 1998-1999

कार्य का नाम :- पुलिस हाउसिंग स्कीम हि०प्र० 6 अदद टाईप नं-1 निर्माण नगरोटा बगवां.

बिल संख्या:5 तीसरा चलित बिल

माप पुस्तिका :- 890/99-पृष्ठ 61 से 70 तक

उपरोक्त कार्य का आबंटन निर्माण मण्डल धर्मशाला के कार्यालय पत्र सं० सी.सी./एच.बी/डब्ल यू-7/98-3164-70 दिनांक 12.11.98 द्वारा संविदाकार श्री के.सी.धीमान को किया गया। निर्माण कार्य के चलित बिल की जांच पर पाया गया कि विभाग द्वारा निम्न मद जो अतिरिक्त मद के रूप "

ऐक्सावायेशन इन अर्थ वर्क विथ फिलिंग इन 15 से.मी. लेयर इन फाउण्डेशन एवं पीटान्थ/रेमिंग/ड्रेसिंग--अप टू लीड आफ 20 कि.मी. लीफ्ट अप टू 150 कि.मी.-- में करवाया गया।

उपरोक्त विवरण से विदित होता है कि इस निर्माण कार्य हेतु नींव में मिट्टी की भराई के लिए मिट्टी की ढुलाई अत्यन्त

दूरी अर्थात 20 कि.मी. से दर्शाई गई है। इस मद हेतु तृतीय चलित बिल तक संविदाकार को 57.88 घन मी. मात्रा हेतु 225.00 रु0 पार्ट दर [पूर्ण दर 230/-रु0] से राशि 13023.00 रु0 का भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की जाती है :-

[1] इस निर्माण कार्य के अनुबन्ध की मद सं0 1 के अनुसार मिट्टी की कटाई का कार्य तथा अनुबन्ध की मद संख्या 2 के अनुसार 97.48 घन मी. कार्य नींव की खुदाई से सम्बन्धित निपटाया जाना अपेक्षित था। तृतीय चलित बिल की मद संख्या 2 के अनुसार मिट्टी की खुदाई से सम्बन्धित 68.103 घन मी. कार्य का निष्पादन भी हो चुका था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि कार्य स्थल पर अत्यन्त मात्रा में मिट्टी उपलब्ध होने के कारण 20 कि.मी. की दूरी से मिट्टी की ढुलाई करवाना व भुगतान करना तथ्यों के विपरीत प्रतीत होता है। यह गम्भीर अनियमितता उच्च अधिकारियों के शीघ्र जाँच एवं कार्यवाही हेतु लाई जाती है।

[2] निर्माण कार्य में इस मद का दर निर्धारण भी अनुबन्ध की मद सं0 1 एवं 2 के प्रीमियम के मानक दर सूची की दर पर जोड़ कर निम्न प्रकार से किया गया :-

[बी]-पिक वर्क

मानक दर सूची मद नं. 7.6.[बी]

दर=10.45 रु0[ए]

मिट्टी की ढुलाई पर खर्च अप टू 20 कि.मी.

मानक दर मद सं0 8-1[ए][2]

मेकनिकल ट्रांसपोर्टेशन दर 5 कि.मी. तक 34.45 प्रति घन मी.

5 कि.मी. से 10 कि.मी. दूरी तक 2.45 प्रति

घन मी. = 12.25

10 कि.मी. से 20 कि.मी. की दूरी तक 1.90 रु0 प्रति घन मी. = 19.00

65.70

+[ए] 10.45

76.15 रु0 प्रति घन मी.

-115-

सीमोलर अनुबन्ध के मद सं0 1 एवं 2 के लिए

संविदाकार द्वारा भरी गई दर (1) 50.00
(2) 60.00
110.00

मा. दर सूची-7.1(बी)व (सी)
शेड्यूल दर = 14.30 प्रति घन मी.
= 14.30+22.12=36.42

अब दर निर्धारण = 76.15+202.30 प्रतिशत
= 230.00 रु0 घन मी.

अनुबन्ध की मद सं0 1 और 2 के अनुसार कार्य स्थल पर खोदी गई मिट्टी को किसी भी दूरी तक फैला जाना सम्मिलित था। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत इस मद का निर्धारण नियमानुसार किया जाना अपेक्षित था :-

मानक दर सूचि की मद सं0 7.6(बी) के अनुसार दर=10.45 प्र.घ.मी.
अनुबन्ध की मद सं0 1 व 2 के ऊपर प्रीमियम =
202.03 प्रतिशत.
अर्थात= 21.10
31.55 रु0 प्रति घ.मी.

नियमानुसार इस मद का भुगतान 225.00 रु0 पार्टदर (पूर्ण दर 230.00 रु0) की बजाए 31.55 रु0 की दर से किया जाना था। यदि मिट्टी की ढुलाई का कार्य बाहर से मिट्टी ढुलवाकर भी किया जाए तो भी संविदाकार को 230.00 रु0 प्रति घन मी. की जगह 31.55 रु0 की दर से भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः इस प्रकार संविदाकार को 57.88 घन मी. हेतु मु0 31.55 की दर से मु0 1826.11 रु0 भुगतान किया जाना अपेक्षित था। तथा इसके विपरीत मु0 11197/-रु0 (13023-1826.11) का अधिक भुगतान किया गया जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की वसूली की जाए।

...31...

13. पैरा सं0 33-34 दिनांक 9.9.99

अनुबन्ध संख्या:- -2-आफ 1995-96.

संविदाकार का नाम:- श्री मु मुकेश कुमार महाजन

कार्य का नाम :- 12 न0 स्टाफ क्वाटर टाईप-II-ग्रुप-I हि0प्र0 स्कूल ऐजूकेशन धौलाकुई.

बिल संख्या:- सातवां एवं अन्तिम बिल ।

उपरोक्त कार्य का आबंटन निर्माण मण्डल धर्मशाला के कार्यालय पत्र सं0 डी. डी. [एच.बी][डब्ल्यू]-7/94-230-36 दिनांक 24.4.95 को संविदाकार श्री मुकेश कुमार महाजन को किया गया। सातवें व अन्तिम बिल की जांच पर निम्न टिप्पणियां अपेक्षित है :-

उपरोक्त कार्य की मद सं0 12 का नोमीक्लेचर सैकण्ड क्लास ब्रिक वर्क यूजिंग कामन दरण्ट क्ले बिल्डिंग वर्क्स इन फाउंडेशन इन पिल्नथ सीमेन्ट मोरटार 1:6 था जिसकी दर संविदाकार द्वारा 1100 रु0 प्रति घन मी. दी गई थी। व उक्त कार्य की मद को विभाग द्वारा-सैकण्ड क्लास ब्रिक वर्क यूजिंग कामन बन्टर क्ले बिल्डिंग इन सुपर स्ट्रक्चर इन 1:6 में संविदाकर से निष्पादित करवाया गया व मण्डल द्वारा इस मद की प्रतिस्थापित दर इस प्रकार निकाली गई

न्यूनतम दर जो कि किसी अन्य संविदाकार द्वारा फाउंडेशन एवं पिलर्ज कार्य हेतु 1:6 के लिए भरी थी :- = 1350.00 रु0 घन मी.

सुपर स्ट्रक्चर की दर जो निकाली गई=

$$\frac{1350 \times 426.45}{414.65} = 1388.45$$

प्रतिस्थापित दर=1387.45 रु0

आयास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस प्रतिस्थापित दर को मुख्यालय की स्वीकृति एवं अनुमोदन हेतु पत्र सं0 डी. डी.[एच.बी][डी.बी.-एच.पी.-1388][डी.एम.ए.]-96-वाल्यूम 11-4997 दिनांक 16.1.96 को प्रेषित किया गया व इस मद की प्रतिस्थापित दर मुख्यालय द्वारा 1387.45 रु0 घन मी. निर्धारित की गई।

उपरोक्त मद की प्रतिस्थापित दर आवास बोर्ड मण्डल द्वारा धर्मशाला के निर्माणाधीन अन्य कार्यों के संविदाकार द्वारा उक्त मद के लिए दी गई दर को आधार मान कर तैयार की गई ~~प्रतीत~~ प्रतीत होती है जबकि अनुबन्ध की धारा-12 में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था अत: निम्न अनुसार उपरोक्त प्रतिस्थापित दर का दर निर्धारण अनुबन्ध की धारा-12(2) के अन्तर्गत किया जाना अपेक्षित था। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अनुबन्ध की शर्तों की उपेक्षा करके दर निर्धारण किया गया है। वास्तव में उपरोक्त मद का निर्धारण अनुबन्ध की सजातीय(समान मद) की मद.सं0 12 को आधार मानकर निम्न अनुसार किया जाना अपेक्षित था :-

दर जो संविदाकार द्वारा फार्मेशन एवं
फिलर्ज कार्य हेतु 1:6 के लिए भरी थी:- 1100.00 रु0
सुपर स्ट्रक्चर की दर देय थी :- $\frac{1100 \times 425.45}{414.65} = 1131.30$

अत: इस प्रकार संविदाकार को सुपर स्ट्रक्चर के कार्य मात्रा का भुगतान जो कि 1387.45 रु0 प्रति घन मी. की दर से किया गया। वास्तव में 1131.00 रु0 घन मी. के आधार पर किया जाना अपेक्षित था। अत: सातवें चलित बिल व अन्तिम बिल की माप पुस्तिका 835/96 पृष्ठ 80 पर किए गए कार्य मात्रा 47.20 घन मी. का भुगतान 1387.45 रु0 कुल 65487.64 रु0 की राशि को अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु किया गया। जबकि जो उस के द्वारा भरी दर व प्रतिस्थापित दर 1130.00 रु0 की दर से देय था। इस प्रकार संविदाकार को राशि 12151.00(65487.64-53336) रु0 का अधिक भुगतान किया गया है। इस सम्बन्ध में अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार आवास बोर्ड के अधिकारी द्वारा शीघ्र कार्यवाही करके अधिक भुगतान की गई राशि को दोषी से वसूल करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

- 117 -

14. पा0सं0 35036 दिनांक 9.9.99

अनुबन्ध सं0 14 वर्ष 1995-96

कार्य का नाम :- 6 उ0 स्टाफ क्वार्टर टाईप-III नि0व0 स्कूल बोर्ड रैबुलेशन धौलपाड़ी

संविदाकार का नाम :- श्री मुकेश महाजन

बिल संख्या:- अठा एवं अन्तिम बिल।

उपरोक्त कार्य का आबंटन निर्माण मण्डल धर्मशाला के कार्यालय पत्र सं0 डी.डी.(एच.बी.)डब्ल्यु-7/94-223-29 दिनांक 24.4.95 को संविदाकार श्री मुकेश महाजन को किया गया। अठा व अन्तिम बिल की जांच पर निम्न आपत्तियां पाई गई :-

उपरोक्त कार्य की मद सं0 12 का नोमीक्लेचर सेकण्ड क्लास ब्रिक वर्क यूजिंग कामन बरन्ट क्ले बिल्डिंग वर्क्स इन फाउंडेशन इन प्लिन्थ सीमेन्ट मोरटर 1:6 था की दर संविदाकार द्वारा 1100.00 रु0 प्रतिघन मी. दी गई थी। व उक्त कार्य की मद को विभाग द्वारा सेकण्ड क्लास ब्रिक वर्क यूजिंग कामन बरन्ट क्ले बिल्डिंग इन सुपरस्ट्रक्चर इन 1:6 में संविदाकार से निष्पादित करवाया गया व मण्डल द्वारा इस मद की प्रतिस्थापित दर इस प्रकार निकाली गई :-

न्यूनतम दर जो कि किसी अन्य संविदाकार
द्वारा फाउंडेशन एवं प्लिन्थ कार्य हेतु
1:6 के लिए भरी थी = 1350.00 रु0 घ.मी.

अतः सुपरस्ट्रक्चर की दर जो
निकाली गई = $\frac{1350 \times 426.45}{414.65}$ = 1388.45 रु0

प्रतिस्थापित दर= 1387.45 रु0

आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस प्रतिस्थापित दर को मुख्यालय की स्वीकृति एवं अनुमोदन हेतु पत्र सं0 डी.डी.(एच.बी.)-सी.बी.-एस.सी.-1388(सीएमआर)-96-वाल्युम II-4997 दिनांक 16.1.96 को प्रेषित किया गया।

....34...

बोर्ड के अधिकारी द्वारा शीघ्र कार्यवाही करके अधिक भुगतान की गई राशि दोषी से वसूल करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

15. वा०सं० 80 व 81 दिनांक 18.6.99

अनुबन्ध सं० 10 वर्ष 1995-96

कार्य का नाम :- 12 नं० स्टाफ क्वार्टर टाईप-II ग्रुप-II हि०प्र० स्कूल ऐजुकेशन बोर्ड धीलगाड़ी धर्मशाला

बिल सं० :- छठा चलित बिल ।

उपरोक्त कार्य का आबंटन निर्माण मण्डल धर्मशाला के कार्यालय पत्र सं० डी.डी.एच.बी.डब्ल्यू-237-43 दिनांक 26.4.95 को संविदाकार श्री मुकेश महाजन को किया गया। छठे चलित बिल की जांच पर निम्न आपत्तियाँ पाई गईं ।

उपरोक्त कार्य की मद सं० 12 के नोमीक्लेचर सैकण्ड क्लास ब्रिक वर्क यूजिंग कामन पिलिन्थ सीमेन्ट मोरटर 1:6 था, की दर संविदाकार द्वारा 1100.00 रु० घ.मी. दी गई थी। व उक्त कार्य की मद को विभाग द्वारा सैकण्ड क्लास ब्रिक वर्क यूजिंग कामन ब्रिक्स बिल्डिंग इन सुपर स्ट्रक्चर इन 1:6 में संविदाकार से निष्पादित करवाया गया व मण्डल द्वारा इस मद की प्रतिस्थापित दर इस प्रकार निकाली गई :-

परन्तु को बिल्डिंग वर्क इन फाउंडेशन इन

न्यूनतम दर जो कि किसी अन्य संविदाकार द्वारा फाउंडेशन एवं पिलिन्थ कार्य हेतु 1:6 के लिए भरी गई थी= 1350.00 रु०.घ.मी.

अतः सुपरस्ट्रक्चर की दर जो निकाली गई= $\frac{1350 \times 426.45}{414.65}$ = 1388.45 रु०

प्रतिस्थापित दर = 1387.45 रु०

आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अधिशाषी अभियन्ता द्वारा इस प्रतिस्थापित दर को मुख्यालय की स्वीकृति एवं अनुमोदन हेतु पत्र सं० डी.पी.(एच.बी)डी.बी.-एच.पी. 1388 (सीएम)-96 डाल्युम 11-4997 दिनांक 16.1.96 को प्रेषित किया गया व इस

मद की प्रतिस्थापित दर मुख्यालय द्वारा 1387.45 रु० घन मी. निर्धारित की गई।

उपरोक्त मद की प्रतिस्थापित दर आवास बोर्ड द्वारा धर्मशाला में निर्माणाधीन अन्य कार्यों के संविदाकार द्वारा उक्त मद के लिए दी गई दर को आधार मानकर तैयार की गई प्रतीत होती है। जबकि अनुबन्ध की धारा-12 में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। अत: निम्नअनुसार उपरोक्त प्रतिस्थापित दर का दर निर्धारण अनुबन्ध की धारा-12»2 के अन्तर्गत किया जाना अपेक्षित था। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को ~~अनुचित~~ आर्थिक रूप से अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अनुबन्ध की शर्तों की अनुपालना न करके दर निर्धारण किया गया है। वास्तव में उपरोक्त मद का निर्धारण अनुबन्ध की सतारिय (सीमवार मद) की मद सं0-12 को आधार मानकर निम्न अनुसार किया जाना अपेक्षित है था।

दर जो संविदाकार द्वारा फाउंडेशन एवं
पिलिन्थ कार्य हेतु 1:6 के लिए भरी गई थी:- 1100.00 रु0

सुपरस्ट्रक्चर के लिए जो दर देय थी = $\frac{1100 \times 426.45}{414.65}$ = 1131.30 रु0

अत: इस प्रकार संविदाकार को सुपर स्ट्रक्चर के कार्य [illegible]/आहेतु कार्य मात्रा का भुगतान जो कि 1397.45 रु0 प्रति घन मी. की दर से किया गया वास्तव में 1131.00 रु0 घन मी. के आधार पर किया जाना अपेक्षित था। अत: छठे बिल की माप पुस्तिका 600 पृष्ठ 93 पर किए गए कार्य मात्रा 69.20 घन.मी. का भुगतान 1387.45 रु0 कुल 96011.54 रु0 का अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु किया गया जबकि उसे उसके द्वारा भरी दर व प्रतिस्थापित दर 1131.00 रु0 की दर से देय बनता था। इस प्रकार संविदाकार को 17746.35 रु0 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार आवास बोर्ड के अधिकारी द्वारा शीघ्र कार्यवाही कर अधिक भुगतान की गई राशि की संविदाकार से वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी निरीक्षण पर अवगत करवाया जाए।

16. आ0सं0 74-75 दिनांक 23.3.2000

अनुबन्ध संख्या: 18 वर्ष 1995-96

संविदाकार का नाम :- मधु सुदन टिम्बर इण्डस्ट्रीज यमुनानगर

बिल संख्या:- दसवाँ एवं अन्तिम बिल

कार्य का नाम :- ~~प्रतिमा~~ प्रारब्धिक सेल्फ फीनशिंग स्कीम विन्द्रावन पातमपुर.

उपरोक्त वर्णित कार्य के अनुबन्ध सं0-18 वर्ष 1995-96 के द्वारा मैसर्ज मधुसुदन टिम्बर इण्डस्ट्रीज यमुनानगर को पत्र सं0 डी.टी./एच.बी.-7/94-4181-87 दिनांक 4.11.95 द्वारा प्रारब्धिक सेल्फ फीनशिंग स्कीम विन्द्रावन में 18 अदद कैटिगरी-I व कैटिगरी-II ~~विन्द्रावन/में~~ के-30 अदद मकानों के लिए फैक्टरी निर्मित होलक युड डोर, खिड़कियां व शर्ज की आपूर्ति का कार्य आवंटित किया गया।

अन्तिम बिल की जांच पर पाया गया कि उक्त कार्य 745919.00 रु0 की लागत से 3 माह की अवधि तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अन्तिम बिल तक इस कार्य पर 904259.00 रु0 का व्यय किया गया।

अनुबन्ध के अनुसार निम्न कार्य की मदों की मात्रा और वास्तव में जितनी मात्रा की आपूर्ति की गई में निम्नानुसार बहुत ही अन्तर पाया गया। इस अत्याधिक विचलन बारे स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

चलत बिल सं0	क्र0सं0	कार्य का विवरण	मानक प्राक्कलन की मद सं0की मात्रा जितनी निष्पादित की जानी थी।	कुल मात्रा जो निष्पादित की गई ।	अन्तर
10वां चलित व अन्तिम बिल	1	सप्लाई 35 एमएम. थिक फैक्टरी मेड पेनल स्टोर ब्रुर्ज मेड आफ होलाक वुड विदन टोप रेल-100 टाप कास्ट आफ पिन्क प्राईमर आई.एस.आई-3596-196.	98256	1382.18 एम²	399.62 एम²

-122-

2 सफाई आफ 35 एमएम फैक्टरी मेड सिंगल लीफ डब्बल लीफ-विन्डो शटर्स मेड आफ होलाव बुड विलन टोप रेल बाटम 75 एम.एम. वीथ शीफट वाटम 35 एम.एम. 532.26 एम^2 445.29 86.97एम^2

17. वा0सं0 12-13 दिनांक 9.9.99

अनुबन्ध सं0 :- 6 वर्ष 1999-2000

माप पुस्तिका सं0 :- 998/99 व 984/98

बिल सं0 :- दूसरा चलित बिल.

कार्य का नाम :- 12 अदद मकानों का निर्माण नूरपुर
12 अदद मकानों का निर्माण ज्वाली
12 अदद मकानों का निर्माण इन्दौरा

संविदाकार का नाम :- श्री के0के0 महाजन ।

उपरोक्त वर्णित वाउचर द्वारा अनुबन्ध की मद सं0 14 "प्रीकास्ट कन्क्रीट सलिड ब्लाक मेसनरी (इन्क्लूडिड क्यून ब्लाक, जाम्ब ब्लाक) गेट्रिड कन्शटेरट ब्लाक आफ अपरवड साईज 290×200×140 एमएम मेड आफ सीमेन्ट कन्क्रीट 1:4:4:8 सुपरस्ट्रैक्चर इन आल फ्लोर" मे करवाए गए 191.06 घन मी. कार्य हेतु 1300.00 रु0 प्रति घन.मी. की दर से 248378.00 रु0 का भुगतान संविदाकार को दूसरे चलित बिल में किया गया। परन्तु माप पुस्तिका सं0 984/98 के पृष्ठ 56 व 57 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की गणना की जाँच पर पाया गया कि इस कार्य की मात्रा 67.92 घन मी. व इसी माप पुस्तिका के पृष्ठ सं0 38 पर रिकार्ड प्रविष्टी की पूर्व में रिकार्ड की गई मात्रा को 46.78 घन.मी. को घटा कर कुल कार्य मात्रा 21.14 घन.मी. के स्थान पर 21.64 घन मी. को चलित बिल के पृ0 46 व 47 पर इस प्रकार दर्ज कर भुगतान किया गया।

क्रमश/पृ

	मात्रा.
माप पुस्तिका पृ0 12	47.20 घन मी.
984 पृ0 38	46.78 -"-
-"- पृ0 24	4.16 -"-
-"- पृ0 57	21.64 -"-
989 पृ0 35	71.28
कुल मात्रा	191.06 घन.मी.

वास्तव में उक्त मात्रा के स्थान पर कुल मात्रा 190.56 घ.मी. ही बनती थी। इस तरह .50 घन मी. की मात्रा को अधिक दर्शाकर संविदाकार को 1300.00 रु0 प्रति घन मी. की दर से राशि 650.00 रु0 का अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी वसूली संविदाकार से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

18. ब्वा0 सं0 21.व 22 दिनांक 7.3.2000

कार्य का नाम :- ऐडवेन्चर टूरिजम रेस्टोरेन्ट पॉगडैम.

फर्म का नाम :- डी.सी.एच-डी.एस. एस. बिल्डर्स शिमला।

अनुबन्ध सं0 :- 15 वर्ष 1999-2000

बिल सं0 पांचवा चलित बिल।

माप पुस्तिका सं0 :- 1024/99 पृ0 25/41

§1§ उपरोक्त वर्णित कार्य का आबंटन आवास बोर्ड के पत्र सं0 डी.डी./एच.बी./डब्ल्यू-7/99-148-54 दिनांक 17.4.99 के द्वारा डी.सी.एच.-डी.एस.एस. बिल्डर्ज शिमला को किया गया। पांचवे चलित बिल की जाँच पर निम्न आपत्तियां पाई गई :-

उपरोक्त निर्माण चलित/बिल कार्य को [illegible] करवाते समय पांचवे चलित बिल में पाया गया कि बोर्ड द्वारा कुछ ऐसी मदों को संविदाकार से निष्पादित करवाया गया जिन की न तो निष्पादन बारे तथा न ही दर निर्धारण बारे सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त हुआ था तथा इस प्रकार संविदाकार को ऐसी मदों हेतु "प्रोविजनल दरों के आधार पर भुगतान किया

-124-

जा चुका था । यह एक गम्भीर अनियमितता सचिव एवं मुख्य अभियन्ता के ध्यानार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है क्योंकि संविदाकार को छठा चलित बिल व अन्तिम बिल लेखा शाखा में प्रस्तुत किया जा चुका है। इस सन्दर्भ में नियमानुसार उचित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए। मदों का विवरण निम्न से है :-

अनुबन्ध सं0	चलितबिल सं0	अतिरिक्त मद सं,	प्रतिस्थापित दर.	मद का नाम	कार्य की मात्रा.	भुगतान की गई राशि
15 वर्ष 1999-2000.	पांचवा चलित बिल.	9	986.00	सीमेंट कंक्रीट अर्थ ग्राउंड लेवल अप टु फ्लोर लेवल ।	5.79 घ.मी.	5708.94
	---	10	246.10 घ.मी.	सीमेंट आर्क स्टोन मैसनरी 1:6 गा. लेवल.	10.26	2524.99
	---	11	1.25	बैल्टिंग विथ इलैक्ट्र-प्लांट	68.00 घ.मी.	8508.00
	---	12	338.30	सपेयर रबल मैसनरी विथ हार्ड स्टोन.	10.25 घ.मी.	3467.58

§2§ इसके अतिरिक्त कुछ मदों का निष्पादन केवल दर निर्धारण तैयार कर व भुगतान तदानुसार किया गया था। वास्तव में न तो इन मदों का दर निर्धारण बारे सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित प्राप्त किया गया न ही मुख्यालय से इन मदों का दर निर्धारण अनुमोदन प्राप्त अभी तक प्राप्त हुआ है। ऐसी मदों का विवरण निम्न से है :-

मद सं0	ऐनलाईसिज दर	मद का नाम	कार्य की मात्रा	पार्ट दर	भुगतान की गई राशि
18/ई-1	2776.70	प्रोवाईडिंग एण्ड फिक्सींग ओरनामेन्टल रेलिंग ।	30.45	2000	60800.00
19/ई-1	8339.50	प्रोवाईडिंग एण्ड फिक्सींग लैम्प पोस्ट ओरनामेन्टल	6 सं0	7000	42000.00

...41..

29/ई-1	608.94	फ्लाईंग ग्लेज्ड टाईल	161.00 घ.मी.	450.00	72950.00
30/ई-1	600.00	क्लार ग्लेज्ड टाईल्स 6 एमएम.	42.12	560.00	52536.00

{3} संविदाकार को स्टाक लेखे से अधिक सामग्री जारी करने बारे :-

उपरोक्त निर्माण कार्य के पांचवे चलित बिल के की जांच पर पाया गया कि संविदाकार को पांचवें चलित बिल तक निम्न सामग्री स्टाक लेखे से जारी की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

1. सीमेन्ट 1150 बैग

2.

माप पुस्तिका 1024/96 के पृष्ठ 40 के अवलोकन पर पाया गया कि संविदाकार से निष्पादित की गई मदों की कुल मात्रा में सीमेन्ट उपयोग की कुल मात्रा ड्राईंग शाखा के अनुसार केवल 892 बोरियां ही बनता था। जिसको पूर्व में चौथे चलित बिल में संविदाकार से 890 बोरी की वसूली प्रति बोरी मूल्य 155.00 रू0 के रूप में वसूली कर ली गई थी। जबकि पांचवे चलित बिल में सीमेन्ट व सरिया की वसूली योग्य कोई ऐसी मद का निष्पादन नहीं किया गया था। पृ0 40 पर संविदाकार से 60 बोरी सीमेन्ट की वसूली प्रति दर 155.00 रू0 के रूप में बिल में काटी गई दर्शाई गई। ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को स्टाक से अधिक सीमेन्ट की मात्रा जारी करके पांचवें बिल में मनमाने ढंग से वसूली की गई। जो कि एक गम्भीर अनियमितता को परिलक्षित करता है। 60 बोरी सीमेन्ट की कीमत संविदाकार से किस आधार पर वसूली गयी का पूर्ण स्पष्टीकरण अंकेक्षण को किया जाए अन्यथा उक्त 60 बोरी सीमेन्ट की दण्ड दोहरी वसूली की जाए तथा शेष सीमेन्ट को मण्डल भण्डार मे वापिस लिया जाए । भण्डार मे शेष 200 सीमेन्ट बैग प्राप्त न होने की स्थिति मे इसकी दण्ड दोहरी दर से वसूली संविदाकार से अपेक्षित है। जिस बारे

-126-

पूर्ण स्थिति से अंकेक्षण को सूचित किया जाए। सम्पूर्ण सीमेन्ट की वसूली योग्य राशि 38,750 रु० जमा ब्याज दोहरी दर बनती है।

19. निर्माण कार्य पर तुरन्त उपयोग हेतु आवंटित मदों के विरुद्ध सुरक्षित अग्रिम का भुगतान करके आर्थिक लाभ पहुंचाने बारे :-

अनुबन्ध सं० :-	22 एवं 23 वर्ष 1999-2000
वा०सं० :-	25-26 दिनांक 9.3.2000
वा०सं० :5	67-68 दिनांक 22.3.2000
संविदाकार का नाम :-	मैसर्ज सूद कन्स्ट्रक्शन चण्डीगढ़
निर्माण कार्य का नाम :-	प्रारीशनल सैल्फ फीनिशिंग स्कीम पिन्जौर । -23 अदद मकानों का निर्माण श्रेणी-I 106 से 128. -23 अदद मकानों का निर्माण श्रेणी-2 -129 से 251 .

{1} उपरोक्त निर्माण कार्यों का आवंटन आवास बोर्ड मण्डल के पत्र सं० डी.डी./एच.बी./डब्लू-7/99-4012-18 दिनांक 19.10.99 व 29.10.99 द्वारा संविदाकार मैसर्ज सूद कन्स्ट्रक्शन चण्डीगढ़ को कुल राशि 10306713.00 रु० व 10170014.00 रु० का किया गया। निर्माण कार्यों के प्रथम चलित बिलों के अवलोकन पर पाया गया कि संविदाकार को निम्नलिखित मदों के क्रय हेतु सुरक्षित अग्रिम राशियाँ श्रेणी-1 व श्रेणी-2 के लिए राशि 189661.00 व 187965.00 रु० का भुगतान किया गया तथा यह भुगतान मण्डल द्वारा परिशिष्ट वी की मदों के Analysis of Rates तैयार कर किया गया प्रतीत होता है।

127 48

23 अदद ट्रोली नं० - 2

मद का नाम	मात्रा	दर	अंकित राशि
…कास्ट इन पाईप 100 एम.एम.	63 नं०	259-00	16,317-00
…मेंसी — 75 एम.एम.	126 नं०	228-00	28,728-00
…बेन्ड 100 एम.एम.	115 नं०	96-00	11,040-00
— " — 75 एम.एम.	46 नं०	95-00	4370-00
…डबल डोर 100 "	23 नं०	159-00	3657-00
— " — 75 "	46 "	150-00	6900-00
…र 100 "	46 "	40-00	1840-00
" — 75 "	92 "	40-00	3680-00
…डबल्यू पाईप 100 "	420 "	19-00	7980-00
…पेयर सी. आई.	46 "	41-00	1886-00
…कवर 300x300	46 "	61-00	2806-00
…लीड	375 किलो	43-00	16,125-00
…पाईप फीटिंग्स 15 "	453.75 कि.ग्रा.	33-00	14,974-00
…ट्रेप 75 "	69 नं०	50-00	3450-00
…वाटर टैंक 500 लीटर	23 नं०	1500-00	34,500-00
…इन शू 100 एम.एम.	69 नं०	48-00	3312-00
…इन पाईप 100 एम.एम.	132 नं०	200-00	26,400-00

23 अदद ट्रोली नं० — 1

क्रम संख्या	मद का नाम	मात्रा	दर	अंकित राशि
1.	सोकेट कास्ट इन पाईप 100 एम.एम.	63 नं०	259-00	16317-00
2.	—— मेंसी — 75 एम.एम.	126 नं०	228-00	28728-00
3.	पानी बेन्ड 100 एम.एम.	115 नं०	96-00	11040-00
4.	—— " —— 75 एम.एम.	46 नं०	95-00	4370-00
5.	सिंगल डबल डोर 100 "	23 नं०	159-00	3657-00
6	—— " —— 75 "	46 "	150-00	6900-00
7.	कालर 100 "	46 "	40-00	1840-00
8.	—— " —— 75 "	92 "	40-00	3680-00
9.	एस.आर. डबल्यू पाईप 100 "	420 "	19-00	7980-00
10.	मशीन पेयर सी. आई.	46 "	41-00	1886-00
11.	सी. टी. कवर 300x300	46 "	61-00	2806-00
12.	पीग लीड	375 कि.ग्रा.	43-00	16125-00
13	सी. आई. पाईप फीटिंग्स 15 "	469.70 कि.ग्रा.	33-00	15500-00
14.	फ्लोर ट्रेप 75 "	69 नं०	50-00	3450-00
15.	पी.वी.सी. वाटर टैंक 500 लीटर	23 नं०	1500-00	34500-00
16.	कास्ट इन शू 100 एम.एम.	69 "	48-00	3312-00
17.	कास्ट इन पाईप 100 एम.एम.	132 "	200-00	26400-00

-128-

अंकेक्षण में जांच पर पाया गया कि संविदाकार से उपरोक्त निर्माण कार्यों का निष्पादन माह 3/2000 के दौरान आरम्भ किया गया था तथा यह कार्य अभी तक प्रारम्भिक चरण में ही था जबकि संविदाकार द्वारा उपरोक्त कार्य स्थान पर लाई गई मदों हेतु आवास बोर्ड द्वारा सुरक्षित अग्रिम का भुगतान किया गया इन मदों का निष्पादन अत्यन्त देरी के बाद अपेक्षित था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राशियों का भुगतान निर्माण कार्य के प्रारम्भ करने के बाद तुरन्त कर दिया गया था जोकि अनियमित है।

§2§ इसके अतिरिक्त संविदाकार द्वारा उपरोक्त मदों के क्रय करने के सम्बन्ध में कोई भी बिल नहीं पाया गया बिना बिल प्राप्त करने से उचित मद दर ज्ञात नहीं हो सकती तथा दिए गए सुरक्षित अग्रिम की लेखा परीक्षा में पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि नियमानुसार इस प्रकार के अग्रिम हेतु बाजार भाव की प्रोफोर्मा इन्वायस प्राप्त की जानी अपेक्षित है।

20• अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि प्रायः संविदकारों द्वारा निविदा फार्म भरते समय मदों की राशि को केवल अंकों में भरा जाता रहा है। जबकि डी•एन•आई•टी• के सामान्य अनुदेश संख्या:29 के अनुसार राशि को शब्दों तथा अंकों में भरा जाना अनिवार्य है। पिछले कई वर्षों से संविदाकारों द्वारा निविदा फार्मों में राशि को केवल अंकों में भरा जाता रहा है। प्रमाण स्वरूप संविदाकार मैसी• धीमान द्वारा निर्माण कार्य 6 नं0 टाईप-I के निविदा फार्म को भरते समय राशि को केवल अंकों में भरा गया है। जोकि अत्यन्त अनियमित तथा लापरवाही का मामला है।

भविष्य में निविदा फार्म में राशि को अंकों तथा शब्दों में भरा जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा सम्बन्धित संविदाकार के निविदा फार्म को रद्द किया जाये।

... ...

21. अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि विवरणानुसार निर्माणकार्य छोटे-छोटे भागों में बाट कर निर्माण, कार्य आदेशों (वर्क आर्डर) के आधार पर विभिन्न संविदाकारों से करवाये गये हैं। जबकि एक निर्माणकार्य से सम्बन्धित एक ही अनुमान तैयार करने के पश्चात सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके तथा नियमानुसार निविदाये मंगवाकर व अन्य समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करवाकर कार्य करवाया जाना अपेक्षित है। एक ही निर्माण कार्य को छोटे-छोटे भागों में विभाजित करके उच्च अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त न करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया प्रतीत होता है यह प्रकरण पूर्व वर्षों में भी बार अंकेक्षण द्वारा उच्च अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक ही निर्माण कार्य को छोटे-छोटे भागों में बांटकर करवाये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी से छूट प्राप्त करके अनुमोदना की जावे आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाये।

....

क्रम/वर्ष	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कार्य आदेश की राशि
9.2000	द्वारा शोशल हाऊसिंग कलोनी देहरा. (रिटेनिंग वाल टू पार्किंग प्लेस)	श्री विजय कुमार महाजन, पठानकोट	19,890-00
.2000	टूरिस्ट इन्फोरमेशन सैन्टर मैक्लोडगन्ज (प्रोवाईडिंग एक्सटरनल वाटर स्पलाई स्कीम)	मै. संजय स्टील फैबरिकेशन, पालमपुर	19,743-00
9-2000	टूरिस्ट इन्फोरमेशन सैन्टर, मैक्लोडगन्ज, (बाऊन्ड्री वाल एण्ड गेट)	— पर्चापार्ट —	5,457-00
99.2000	शोशल हाऊसिंग कलोनी, देहरा (रिटेनिंग वाल टू पार्किंग प्लेस)	श्री विजय कुमार महाजन (पठानकोट)	19,890-00
99-2000	स्टाफ क्वाटरस (हि० प्र०) स्कूल शिक्षा बोर्ड, सिद्धपुर (रिटेनिंग वाल फार रोड एलोंग नाला)	श्री कुलदीप महाजन श्याम नगर, धर्मशाला	19,472-00
99.2000	स्टाफ क्वाटरस (हि०प्र०) स्कूल शिक्षा बोर्ड, सिद्धपुर (रिटेनिंग वाल)	— पर्चापार्ट —	12,351-00
7 9-2000	शोशल हाऊसिंग कलोनी, होल्टा पालमपुर, (स्टोन मेशीनरी स्टैप)	श्री संजय शर्मा, पालमपुर	5,131-00
8 99-2000	स्टाफ क्वाटरस हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड, (रिटेनिंग वाल)	श्री कुलदीप मेहरा श्याम नगर, धर्मशाला	18,338-00
9 99-2000	जे एन. बी कोम्पलेक्स, सरोल चम्बा (रोड एण्ड पाथ) - (स्टील गेट)	मै० विकास स्टील फर्नीचर, चम्बा	5,700-00
10 99-2000	किचन एण्ड डाईनिंग बिल्डिंग जे एन वी पपरोला	श्री मनोहर लाल पालमपुर	9,517-00

	ओवरहेड वाटर टैंक, टी.एम.बी. पपरोला,	श्री मनोहर लाल पालमपुर,	14,583-00
	बाऊन्ड्री वाल, टी०एम०बी० पपरोला, (पिल्लरज एण्ड वाल)	— यथोपरि —	16,506-00
	शोशल हाउसिंग कलोनी, कांगड़ा शोशल रिपेयर आफ एच.आई.जी. हाउस नं० 5 एण्ड 6	श्री कुलदीप मेहरा, श्याम नगर, धर्मशाला	15,483-00
4	आर/एम आफ शोशल हाउसिंग कलोनी कांगड़ा (रिटेनिंग वाल)	— यथोपरि —	10,774-00
[illegible]	शोशल हाउसिंग स्कीम, धनीयारा (डवैलपमैन्ट आफ साईट, कटींग वर्क)	श्री [illegible] सिंह राणा	19,000-00
[illegible]	किचन एण्ड डाइनिंग बिल्डिंग (टी० एम० बी० पपरोला)	श्री मनोहर लाल पालमपुर	17,427-00
8.	किचन एण्ड डाइनिंग बिल्डिंग (टी० एम० बी० पपरोला)	— यथोपरि —	13,101-00
8.	बाऊन्ड्री वाल टू टी० एम० बी० पपरोला (पिल्लरज एण्ड वाल)	— ,, —	13,123-00
[illegible]	टी० एम० बी० सरोल (चम्बा) (रिटेनिंग वाल डरा फ्रंट आफ स्कूल)	श्री बी० आर० शर्मा [illegible], चम्बा	17,989-00
[illegible]	टी० एम० बी० सरोल (चम्बा)	— यथोपरि —	17,818-00
[illegible]	टी० एम० बी० सरोल (चम्बा)	यथोपरि	

एस० एफ० एस, विन्द्रावन (P-II) (रिटेनिंग वाल नियर वाटर टैंक) पी-I	श्री बलजीत सिंह विन्द्रावन (पालमपुर)	18,021-00
...टल हाउसिंग कलोनी, देहरा (रिटेनिंग वाल इन पार्किंग प्लेस)	श्री विजय महाजन, पठानकोट	19,946-00
पुलिस हाउसिंग स्कीम, (हि०प्र०) रानी ताल,	श्री विशम्भर सिंह दाड़ी, धर्मशाला,	19,000-00
बस स्टैंड, नगरोटा बगवां, (डवैलपमेन्ट आफ साईट)	श्री राजेन्द्र सिंह पालमपुर,	16,916-00
एस० एच० सी०, देहरा (रिटेनिंग वाल टू पार्किंग प्लेस)	श्री विजय कुमार, पठानकोट,	19,992-00
...एस. एफ. एस विन्द्रावन पालमपुर (रिटेनिंग वाल)	श्री बलजीत सिंह विन्द्रावन, पालमपुर	18,664-00
...एस. एफ. एस, विन्द्रावन, पालमपुर (रिटेनिंग वाल)	— पार्टी —	19,632-00
...एन. बी. सरोल (चम्बा) (...० वाईड मोशीनरी वाटर टैंक)	मै० मुकेश कुमार महाजन, पठानकोट,	19,601-00
...एन. बी. सरोल (चम्बा) (...० वाईड मोशीनरी वाटर टैंक)	— पार्टी —	19,629-00
...स्टैंड, नगरोटा बगवां, (...वैलपमेंट आफ साईट)	श्री राजेन्द्र सिंह पालमपुर	17,731-00

बाउन्ड्री वाल, पी. एन. डी. पपरोला (पिल्लरस एण्ड वाल)	श्री मनोहर लाल पालमपुर,	6,550-00
डी. एस. एफ. एस. विन्द्रावन पी-II (रिटेनिंग वाल)	श्री महेन्द्र खन्ना पालमपुर	13,502-00
डी. एस. एफ. एस, विन्द्रावन पी-II (स्पलाई आफ मटेरियल)	—यथोपरि—	13,800-00
एस. एफ. एस, विन्द्रावन पी-II (स्पलाई आफ मटेरियल)	—,,—	11,363-00
डी० एस. एफ. एस, विन्द्रावन, पी-II (स्पलाई आफ मटेरियल)	—,,—	11,425-00
डी. एस. एफ. एस, विन्द्रावन, पी०-II (रिटेनिंग वाल)	—,,—	13,372-00
एस. एच. सी. धर्मशाला (पी डी पी एक्सटरनल सीवरेज लाइन)	श्री कुलदीप मेहरा	19,952-00

22. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्तिम बिलों को भुगतान हेतु पारित न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य यद्यपि कई वर्ष पूर्व किए जा चुके थे, परन्तु इन निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्तिम बिल अभी तक भी भुगतान हेतु पारित नहीं किए गए थे। यह अनियमितता पूर्व वर्षों में भी अंकेक्षण द्वारा बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाई गई थी क्योंकि इस अनियमितता के कारण इन निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख अपूर्ण थे तथा ऐसे निर्माण कार्यों पर हुए कुल व्यय का अनुमान लगाना सम्भव नहीं था इसके अतिरिक्त इन निर्माण कार्यों पर अन्तिम बिलों के अनुसार व्यय (+)(-) की गई राशियों को आयाम बोर्ड के अभिलेख में नहीं दर्शाया जा रहा था।

यह अनियमितता पुनः बोर्ड के उच्च प्राधिकारियों के ध्यान –में उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये पारित न किए गए अन्तिम बिलों का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	अनुबन्ध सं. व वर्ष	संविदाकार का नाम	निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि	अनुबन्ध राशि (रु.)
1.	टूरिस्ट इन्फोरमेशन सैन्टर मैक्लोडगंज	5 वर्ष 96-97	श्री आर.सी.चोपड़ा	25.6.98	1470126.00
2.	10 नं० एच.आई.जी. फ्लैटस, धर्मशाला	11 वर्ष 88-89	मै० कुलादित्य बिल्डर्स	वर्ष [illegible]	2082973.00
3.	रेस्ट हाउस, धर्मशाला	1 वर्ष 93-94	मै० कुमार कैलाश सिपाहिया	20.6.96	569550.00
4.	12 नं० सिंगल रूम	1996-97	श्री रमेश कुमार	--	1076463.00
5.	प्रोफेशनल एक्सटेन्शन सीवरेज	13 वर्ष 1997-98	श्री कमल किशोर	--	1827008.00
6.	स्वागत भवन चम्बा	8 वर्ष 98-99	मै० कुमार कैलाश सिपाहिया	25.11.99	5988451.00

... ...

-135

23. छोटा परिवार योजना के अन्तर्गत विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों को मिलने वाली वेतन वृद्धि की अधिक स्वीकृति के कारण मु0 13275/- रु0 का अधिक भुगतान :-

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/ एवं कर्मचारियों को छोटा परिवार योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत वेतन के रूप में वेतन वृद्धि दी गई है। इन समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन(सी)ए(3)-9/88-4 तुज दिनांक 14 सितम्बर 1999 के अनुसार इनकी आगामी वेतन वृद्धि के बराबर व्यक्तिगत वेतन मिलना अपेक्षित थी । लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि निम्न विवरणानुसार कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उनकी पूर्व वेतन वृद्धि के समकक्ष से अधिक व्यक्तिगत वेतन (परिवार नियोजन भत्ता) के रूप में दी गई ।

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	वार्षिक वेतन वृद्धि जो देय थी।	वार्षिक वेतन वृद्धि (व्यक्तिगत)(आय) जो दीगई	अन्तर	1.1.96 से 30.9.99 तक कुल माह ।	अधिक भुगतान की गईराशि
1.	श्री जगत राम	सहायक अभियन्ता	220.00	275.00	55.00	45 माह	2475.00
2.	श्री जो.पी.गुप्ता,	वरिष्ठ सहायक	200.00	220.00	20.00	45 -"-	900.00
3.	श्री सुभाष चन्द	मुख्य प्रारूपकार.	200.00	220.00	20.00	45 -"-	900.00
4.	श्री चरण दास,	वरिष्ठ सहायक.	200.00	220.00	20.00	45 -"-	900.00
5.	श्री प्रकाश चन्द,	ड्राईवर	120.00	150.00	30.00	45 -"-	1350.00
6.	श्री सुभाष चन्द,	चपड़ासी	100.00	110.00	10.00	45 -"-	450.00
7.	श्री बलवन्त सिंह	"	100.00	110.00	10.00	45 -"-	450.00
8.	श्री रमेश चन्द	"	100.00	110.00	10.00	45 -"-	450.00
9.	श्री उत्तम चन्द,	सुपरवाईजर	100.00	120.00	20.00	45 -"-	900.00

-136-

10.श्री कश्मीरी लाल सुपरवाईजर	100.00	150/-	50/-	45 माह	2250.00
11.श्री आलम सिंह,ड्राईवर	100/-	150/-	50/-	-"-	2250.00
				कुल	13275.00

अत: इन अधिकारियों/कर्मचारियों को इनकी वार्षिक वेतन वृद्वि (निजी वेतन) से अधिक भुगतान की गई कु0 13,275.00 रु0 के व्यक्तिगत वेतन की राशि को शीघ्र वसूल करके बोर्ड के खाते में जमा करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार लाभ स्वीकृत किए जाए।

24. हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के मण्डलीय वाहन संख्या एच.पी-03-1445 के वार्षिक औसत निर्धारण बारे :-

मण्डलीय वाहन संख्या एच.पी-03-1445 की लाग बुक के अवलोकन पर पाया गया कि वाहन की औसत प्रत्येक मास के अन्त में लगभग 6 कि.मी. प्रति लीटर दी गई है। हि0प्र0 सरकार के पत्र सं0-सामान्य प्रशासनिक विभाग(जी.ए.डी)-ए(डी)1-1/96 दिनांक 21.01.97 के अनुसार उक्त वाहन (मारुति जिप्सी) की औसत तकनीकी विशेषज्ञो द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार स्थानीय (लोकल) 8 कि.मी. प्रति लीटर तथा प्रवास के दौरान 9 कि.मी. प्रति लीटर निर्धारित की गई थी ।

जाँच परीक्षण के दौरान यह पाया कि सरकारी आदेशों के विपरीत उक्त वाहन की औसत 6 कि.मी. प्रति लीटर दी गई है। इस स्थिति में उक्त वाहन की औसत की जाँच वर्ष के आरम्भ में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के यान्त्रिक विभाग से करवाई जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार की जाँच के अभाव में सरकार द्वारा निर्धारित औसत को ही लागू माना अनिवार्य था।

अत: उक्त वाहन की औसत को सरकारी आदेशों के अनुसार मान कर शेष कि.मी. की वसूली दोषी कर्मचारी/अधिकारी से की जाए ।

25. हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के वाहन संख्या एच.पी. 03-1445 की लाग बुक बारे :-

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि मण्डलीय वाहन संख्या एच.पी.-03-1445 की लाग बुक को पिछले कई वर्षों से साधारण रजिस्टर पर तैयार किया जा रहा है। जबकि नियमानुसार सरकारी आदेशों द्वारा इसे सरकार द्वारा निर्धारित पंजिका पर ही भरा जाना अपेक्षित था। इस प्रकार से इस अनियमितता को पिछले कई वर्षों से दोहराया जा रहा है। भविष्य में इस अनियमितता पर रोक लगाकर इसे सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

26. वाहनों के पुराने हिस्से/पुर्जों की सर्वेक्षण सूचि :-

लेखा परीक्षण के दौरान जांच पर पाया गया कि मण्डल के अधीन वाहनों के हिस्से/पुर्जे जिनमें पुराने टायर ट्यूब व अन्य पुर्जे भी शामिल हैं, की अभिलेख प्रविष्टियाँ तैयार नहीं की गई थी। और न ही उनका डिस्पोजल पिछले कई गत वर्षों से किया गया था। अतः यहाँ सुझाव दिया जाता है कि इन में जो भी पुर्जे/हिस्से अनुपयोगी घोषित किए गए हैं, इनकी सूची शीघ्र तैयार कर नीलामी की प्रक्रिया उपरान्त प्राप्त राशि को रनिंग एवं मेन्टेनेन्स में डाला जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

27. लघु आपत्ति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गई।

28. सार :-

लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

-138-

24 MAR 2001

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल.ए.)(2)सी(15)14)119/88-खण्ड-8, दिनांक, शिमला-9,

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यपालक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला, जिला कांगड़ा को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।
2. आयुक्त एवं सचिव(आवास) हिमाचल प्रदेश, शिमला 2.
3. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, निगम विहार शिमला-2.
4. श्री अनिल शर्मा, सहायक निदेशक,(लेखा परीक्षा), द्वारा.....

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
O/C हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009,

...